

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

≈≈अधिसूचना≈≈

क्रमांक Q/दो-22-9/2009

उमरिया, दिनांक 04/11/2023

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-12/2023/1/4 भोपाल, दिनांक 26.10.2023 के अनुसार संपूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु दिनांक 17.11.2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित हुआ है, अतः रजिस्ट्री, जबलपुर के परिपत्र क्र. डी/488 जबलपुर, दिनांक 22.01.2015 के संदर्भ में दिनांक 17.11.2023 (शुक्रवार) को मुख्यालय उमरिया एवं तहसील बिरसिंहपुर पाली/मानपुर में संचालित समस्त न्यायालयों एवं उनके अनुभागों के लिए मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

sd/-

(महेन्द्र सिंह तोमर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया(म.प्र.)